गोल्डन ऑवर

दुर्घटना के बाद पहला घंटा,
प्राण रक्षा की है डोर थामें।

सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश

AMBULANCE
AMBULANCE
CALL
कॉल
108 / 112

‘गोल्डन ऑवर’ प्राण रक्षा की डोर
जन–सहभागिता समय की मांग

भारतीय संस्कृति में जन–सहभागिता जीवन शैली का अहम् हिस्सा है। इसमें आपसी सहयोग व प्रगाढ़ सम्बंधों की भावना सदियों से निहित नज़र आती है। प्राणी एक समृद्ध एवं सुन्दर समाज की वह कड़ी है जिसने सुख–दुखः में समाज को बांध कर रखा है। समाज में व्यापत बुराईयों जैसे नशा, दहेज, भ्रष्टाचार को मिटाने में जन–सहभागिता के बिना आज कुछ भी संभव नहीं। आधुनिक काल में सड़क हादसों की बढ़ती घटनाओं और अमूल्य जीवन को बचाने में भी जन–सहभागिता की नितांत आवश्यकता महसूस की जा रही है। ऐसी परिस्थितियों में आमजन एक देवदूत बन, जीवन को बचाने का कार्य करता है। यह सर्वविदित है कि बेहतर समाज निर्माण में लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत कार्यान्वित नियमों, कानूनों को अक्षरशः अपनाना हर जागरूक नागरिक का दायित्व है। आवागमन के साधनों के बढ़ने, सड़कों के जाल बिछने व आर्थिक सम्पन्नता से देशभर में वाहनों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई। केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा लागू किये गए यातायात नियमों के बारे हर वाहन चालक को शिक्षित होना आवश्यक है। निर्धारित समय सीमा, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करना, अपनी लेन में चलना, सीट बैल्ट का प्रयोग करना, दुपहिया वाहनों में हैलमेट का प्रयोग करना जैसी छोटी–छोटी बातों को हर जन को अपनी आदत में शामिल करने की आवश्यकता महूसस की जा रही है।

केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा इस जनांदोलन में सार्वजनिक सहभागिता को प्रोत्साहन करने के लिए प्रचार के माध्यमों जैसे सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रानिक मीडिया व लोक नाट्य दलों के माध्यम से नियमित तौर पर जागरूकता अभियान कार्यान्वित किये जा रहे हैं। इस अभ्यिान में गैर सरकारी, सामाजिक संगठनों सहित स्कूली विद्यार्थियों के द्वारा समय–समय पर रैलियां, नुक्कड़ नाटकों व अन्य गतिविधियों के माध्यम से यातायात सुरक्षा के संदेश को समाज में फैलाया जा रहा है।

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 की जारी रिपोर्ट के अनुसार देशभर में सड़क हादसों में प्रतिवर्ष 1.50 लाख व्यक्ति काल का ग्रास बनते हैं। सड़क दुर्घटनाओं में असमय होने वाली इन मौतों पर अंकुश लगाने के लिए यातायात नियमों की जानकारी हर व्यक्ति को होने के साथ–साथ हमें सर्तकता बरतने व सजग रहने की भी

जरूरत है। सड़क के छोटे–छोटे उपयोगों नियमों को अपनाकर हम स्वयं व अन्य वाहन चालकों को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे नाबालिक को गाड़ी की चाबियाँ न सौंपे, दोपहिया वाहन चलाते समय हैलमेट का प्रयोग करें, सीट बैल्ट का उपयोग करें व वाहन की नियमित जाँच करवाने को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं।

नागरिक बोधः–

अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर पर हुए अनेक शोध व जाँच से निष्कर्ष निकला है कि नागरिक बोध के अभाव में अधिकांश सड़क हादसे होते हैं। 'भय बिन प्रीत' का आदर्श हमारी संस्कृति, परम्पराओं का हिस्सा आदिकाल से रहा है। जब तक मनुष्य में डर की भावना रहती है तब तक अनुशासन की प्रवृत्ति अपनाता है। डर की भावना समाप्त होने पर अनुशासन स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अतः सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सभी नागरिकों में नागरिक बोध या आत्म–अनुशासन की अनुभूति का होना समय की माँग है।

नेक व्यक्ति या गुड सेमेरिटन (Samaritan) कौन?

'गुड सेमेरिटन' **(Samaritan)** वह देवदूत व्यक्ति कहलाता है जो दुर्घटना के समय घायल व्यक्ति/व्यक्तियों को नजदीकी अस्पताल ले जाता है और पुलिस अथवा मैडिकल आपातकालीन सेवाओं को सूचित करके पीड़ित की मदद करता है। आमतौर पर देखा गया है कि यदि सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाती है तो कोई भी व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त की खुलकर मदद करने आगे नहीं आते जिसका मुख्य कारण मदद करने वालों को पुलिस द्वारा परेशान किया जाना है। मददगार की इसी झिझक को खत्म करने के लिए अब सरकार ने 'नेक आदमी' के संरक्षण के नियम लागू किए हैं। इस नियम के तहत मुसीबत में मदद करने वाले व्यक्ति जिसने पुलिस को दुर्घटना के बारे में सूचित किया हो या जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल ले गया उसे अब कोई भी पुलिस अधिकारी या अस्पताल प्रशासन अपना नाम, पहचान, पता या किसी भी तरह की कोई व्यकितगत जानकारी देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता और न ही उसे वहां रूकने के लिए विवश कर सकता है। इस नियम के दो लाभ हैं:—

पहला यह कि इस कानून से अनेक दुर्घटनाग्रस्त लोगों को समय रहते राहत सुविधाएं एवं जीवनदान मिलने में मदद मिलेगी।

दूसरा, इस नियम का लाभ यह होगा कि सड़क दुर्घटना होने पर कोई भी पीड़ित की सहायता और सुरक्षा से नहीं हिचकिचाएगा, जिससे मददगारों (नेक व्यक्तियों) के लिए मदद करने वाले लोगों की संख्या में दिनोंदिन आशातीत बढ़ोतरी होगी। परिणामस्वरूप सड़क दुर्घटनाओं की मृत्यु दर में स्वत: कमी आएगी।

सड़क सुरक्षा एवं जन सहभागिता

सड़कें हमारी भाग्य रेखाएं हैं, इन भाग्य रेखाओं को हम सुरक्षित मानते हैं, फिर भी आए दिन इन पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं और हमारा भाग्य दुर्भाग्य में बदलता रहता है। सड़क दुर्घटनाओं में जानमाल का नुकसान होना हमारी ही नहीं, वैश्विक समस्या है, चिंता इस बात की है कि अन्य देशों के मुकाबले हमारे देश में सड़क दुर्घटनाओं की औसत सर्वाधिक है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में ही सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं क्यों होती है? विश्व बैंक की अगस्त, 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सड़क दुर्घटनाओं में सालाना मारे जाने वाले व्यक्तियों में 11 प्रतिशत भारतीय होते हैं।

सड़क मार्गों पर निरन्तर हो रही सड़क दुर्घटनाएं हमारे समाज के लिए निश्चित तौर पर एक गंभीर समस्या बन चुकी हैं, जिसका समाधान ढूंढना अब हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। समय–समय पर सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए बहुआयामी नीतियां लागू की जाती रही हैं किन्तु इसके साथ–साथ यदि ईमानदारी से जन सहभागिता भी सुनिश्चित हो जाए तो सड़क दुर्घटनाओं पर और भी मजबूती से अंकुश लगाया जा सकता है।

क्या है जन सहभागिता ?

समाज में समय–समय पर जनहित सहभागिता के माध्यम से अनेक सामाजिक बुराइयों पर विजय प्राप्त की जाती रही है। जन समुदाय जिस तेजी से समाज में बदलाव ला सकता है उस तेजी से नियम कानून नहीं ला सकते। जन सहभागिता से अभिप्राय जनता की भावना को समझना और उन्हें साथ लेकर चलना है। आज का युग सहभागिता का युग है। 21वीं सदी के युग में हम जन–सहयोग से छोटे–छोटे समूह बनाकर सड़क सुरक्षा नियमों, सड़क संकेतों तथा वाहन चलाने के नियमों के बारे में जन–जन को शिक्षित कर सकते हैं। इस कार्य में युवा शक्ति अहम भूमिका निभा सकती है।

यदि आज हम अपने आसपास घट रही सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना चाहते हैं तो हम सभी को तत्काल प्रभाव से सही अर्थों में जन सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।

सड़क हादसों में पीड़ितों को मदद का हाथ

किसी भी दुर्घटना में पीड़ित/पीड़ितों को समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान कर उसका जीवन बचाया जा सकता है। इसमें चिकित्सा कर्मी से लेकर आमजन की जागरूकता, सतर्कता व तत्परता मायने रखती है।

108 व 112 नम्बर घुमाएं – तुरन्त चिकित्सा सेवा पाएं।

गोल्डन आवर (स्वर्णीम घंटा)
Golden Hour

किसी भी दुर्घटना में शारीरिक चोट लगने के बाद का पहला घंटा बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस दौरान सड़क दुर्घटना के पीड़ित को तत्काल और समुचित प्राथमिक चिकित्सा देने से उसका जीवन बचाने की संभावना कई गुणा बढ़ जाती है और चोट की गंभीरता कम होती है। समय पर प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराकर अनेक अमूल्य जीवन तथा आशक्तताओं को टाला और चोट की गंभीरता की रोकथाम की जा सकती है।

दुर्घटना के पहले घंटे में बंधी है जीवन–मृत्यु की डोर

यह हमेशा मुमकिन नहीं है कि एक घंटे के भीतर पीड़ित तक समुचित चिकित्सा सहायता पहुंच जाए। ऐसे मामले में राहगीर और वहां मौजूद अन्य लोग घायल व्यक्ति (प्रथम सहायता करने वाले) को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान कर सकते हैं। अनेक बार ऐसा देखा गया है कि पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सा विधियों की अज्ञानता से स्थिति बिगड़ जाती है। दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की प्राथमिक चिकित्सा अधिक जटिल नहीं है इसलिए हमें इसकी प्रक्रियाओं और ऐहतियातों के बारे में परिचित होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति विशेषकर युवाओं को प्राथमिक चिकित्सा सहायता (First Aid) का प्रशिक्षण करवाया जाना चाहिए। रक्त प्रवाह को रोकना, स्वास को बनाए रखना ही प्रथम चिकित्सा सेवा देने का मूल मंत्र है।

सड़क सुरक्षा के दस सुनहरे नियम

रूकें या गति धीमी करें

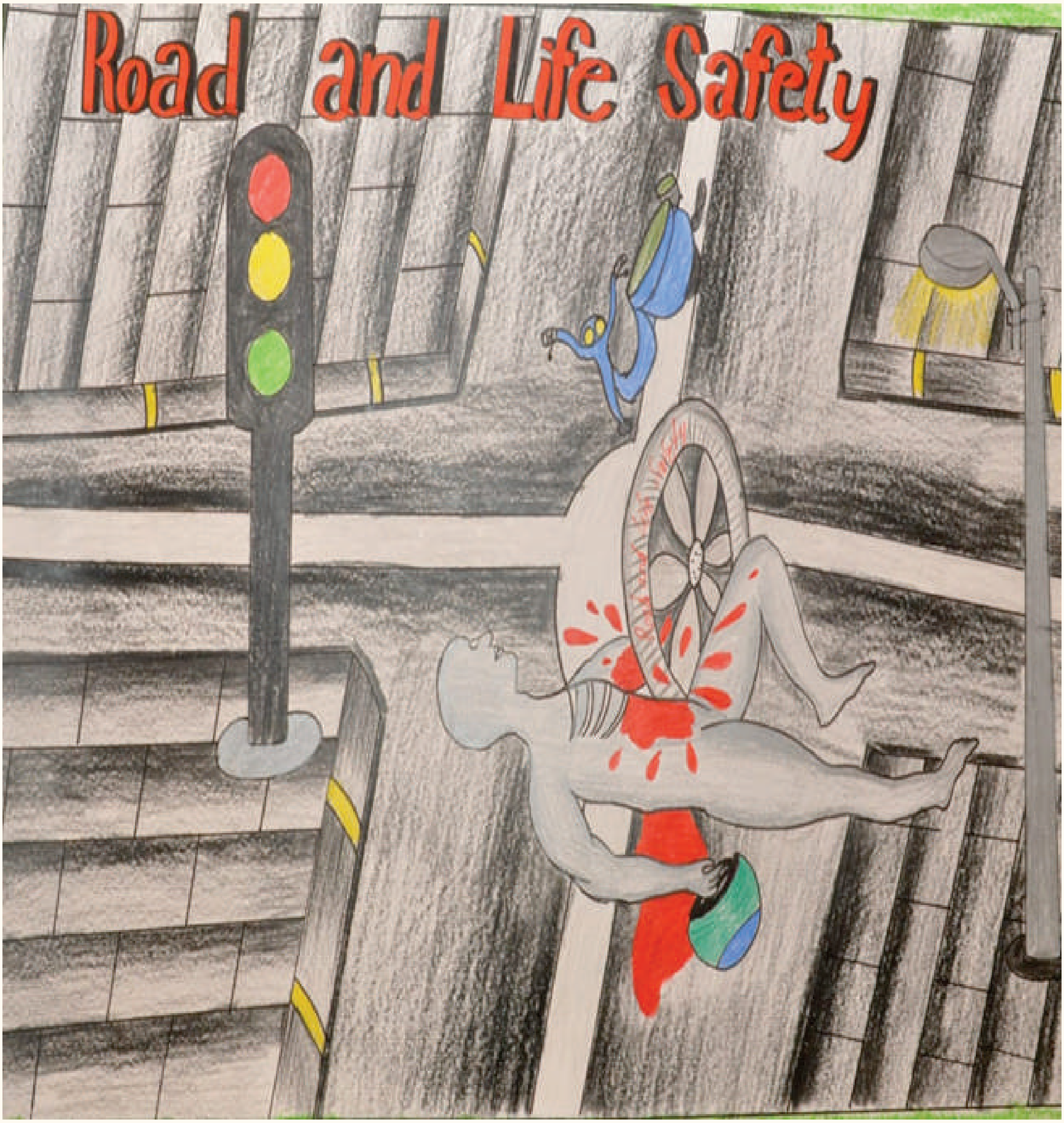

1. अनियंत्रित 'जेब्रा क्रॉसिंग' पर सर्वप्रथम पैदल यात्रियों को सड़क पार करने दें। यह उनका जायज़ हक है।

2. ताकि आप और आपका परिवार वाहन में सुरक्षित रहें। सीट बैल्ट का प्रयोग दुर्घटना के दौरान मौत की सम्भावना को काफी हद तक कम कर सकता है।

3. आपकी और अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए आवासीय व व्यावसायिक जगहों पर गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। वहां वाहन निर्धारित गति सीमा पर ही चलायें।

वाहन की जांच व रख-रखाव नियमित करवाएं

4. ताकि आपका वाहन सड़क पर खराब न हो और उसे चलाने में आपको परेशानी का सामना न करना पड़े जो सड़क पर गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है की जांच व रख–रखाव नियमित करवाएं।

वाहन कभी असुरक्षित ढंग से न चलायें

5. आपकी और अन्य सड़क प्रयोगकर्त्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वाहन को असुरक्षित ढ़ंग से चलाकर आप अपनी व अन्य लोगों का जीवन खतरे में डाल सकते हैं।

मदिरापान/मादक द्रव्यों का प्रयोग कर वाहन न चलाएं

6. जिम्मेदार नागरिक बने .... मदिरापान/मादक द्रव्यों का प्रयोग कर वाहन न चलाएं।

7. ताकि ध्यान भंग न हो और दुर्घटना से बचे रहें, इसलिए मोबाइल का प्रयोग वाहन चलाते समय बिलकुल न करें। यह कानूनन अपराध है।

8. सड़क का सब के साथ एक समान व्यवहार की भावना रखें और दूसरों का भी ध्यान रखें। वाहन चलाते समय क्रोध/गुस्सा भी दुर्घटना का एक कारण बनता है। इस पर नियंत्रण रखें। किसी के बहकावे में न आएं।

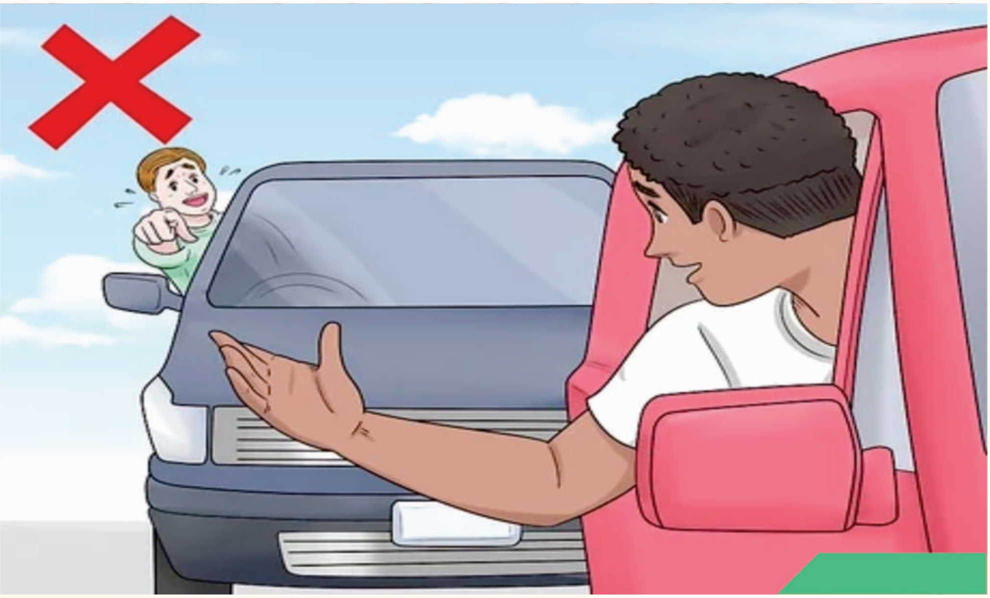

9. दुपहिया वाहन पर अपने तथा सवार साथी के मस्तिष्क की सलामती के लिए उच्च गुणवत्ता वाला हेलमेट मस्तिष्क की गम्भीर चोटों की सम्भावना को 70 प्रतिशत तक घटाता है।

10. सड़क पर अनके प्रकार के चिन्ह लगे होते हैं – जैसे सफेद रेखा, जेब्रा लाइन, स्टॉप लाइन एवं अन्य। ये भी ट्रैफिक के संचालन में मदद करते हैं। इसकी जानकारी सदैव रखें।

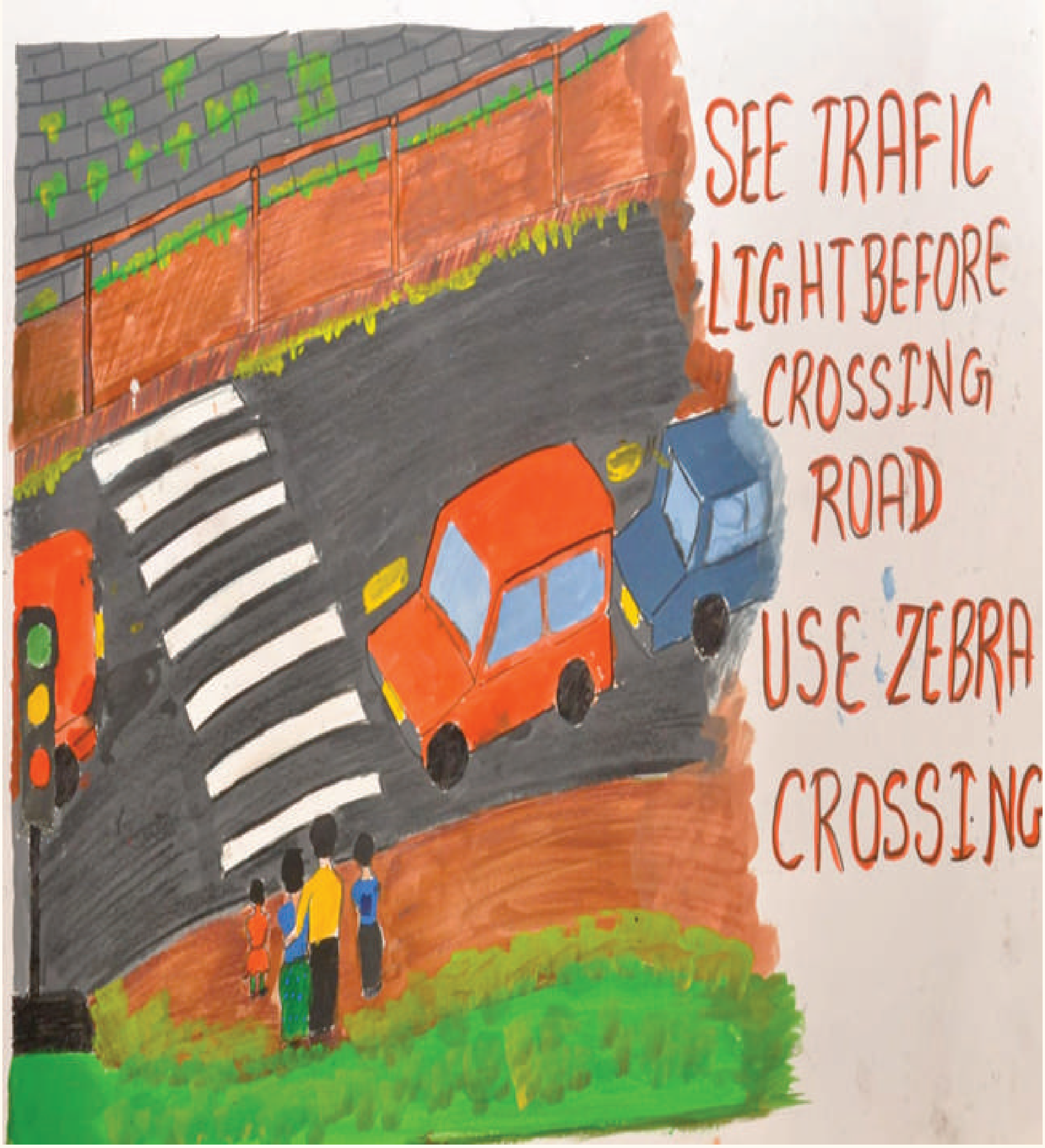

कटी हुई सफेद या पीली लाइन किसी लगातार बनी लाइन के साथ

आपको लाइन के बायीं ओर ही रहना होगा। सड़क के जिस ओर टूटी रेखा होती है उस ओर से ही ओवरटेक कर सकते हैं। अगर सुरक्षित हो तभी ओवरटेकिंग करें। लेकिन ओवरटेक करने के बाद वापस अपनी लेन में आने को तुरन्त सुनिश्चत बनाएं।

सीधी बिना कटी हुई लगातार सफेद या पीली लाइन

उपरोक्त सड़क संकेत चेतावनी देती है कि ओवरटेकिंग नहीं कर सकते हैं। अगर सड़क में प्रवेश करना या निकलना हो तो इन लाइनों का प्रयोग किया जा सकता है। इन लाइनों को क्रास करना निषेध होता है एवं बाएं ओर ही वाहन चलाना चाहिए। किसी व्यावधान होने की स्थिति में ही आप इसे क्रॉस कर सकते हैं।

टूटी हुई सफेद लेन लाइन

उपरोक्त सड़क संकेत पर सुरक्षित होने पर ही लेन बदल सकते हैं लेकिन वापस अपनी लेन में आना होगा एवं लेन बदलने से पहले इंडिकेटर अवश्य देना होगा।

इंटरसेक्शन के पास टूटी हुई लेन लाइन सीधी लाइन में बदल जाती है जहां ओवरटेक करना निषेध होता है।

आपकी सुरक्षा में तत्पर :
सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश

सड़क दुर्घटना के बाद का पहला घंटा घायल व्यक्ति की प्राण रक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अंतराल होता है। इसे ही गोल्डन ऑवर या स्वर्णीम घंटा की संज्ञा दी जाती है। कभी भी कहीं भी जब कोई सड़क दुर्घटना होती है तो उसके बाद के इस एक घंटे में घायल व्यक्ति को यथासंभव शीघ्र प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करवाना अत्यावश्यक होता है। हमारे देश में पिछले 10 वर्षों में 13 लाख से भी अधिक लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गवां चुके हैं। विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इन में से 50 प्रतिशत अर्थात आधे लोगों के जीवन को बचाया जा सकता था यदि दुर्घटना के तत्काल बाद घायलों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध हो पाती। सड़क हादसों में अधिकांश मौतें इस एक घंटे अर्थात गोल्डन ऑवर में समुचित प्राथमिक चिकित्सा न मिल पाने और घायल व्यक्ति को शीघ्र अस्पताल न पहुंचा पाने के कारण होती है। प्रायः दुर्घटना के समय घायल के शरीर से अधिक मात्रा में खून बह जाता है जिसके चलते इलाज में विलम्ब अक्सर घायल व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है। हादसे के समय आम तौर पर लोग घायल की मदद के लिए कानूनी जटिलताओं के भय से भी संकोच करते हैं। जबकी सड़क सुरक्षा अधिनियम में मदद करने वाले व्यक्ति के समय और मान सम्मान की भरपूर कद्र व रक्षा का समुचित प्रावधान है। इसलिए हम सबको जागरूक, जिम्मेंदार और संवेदनशील नागरिक का फर्ज निभाते हुए किसी भी सड़क हादसे के समय घायलों की मदद के लिए तुरन्त आगे आना चाहिए और हादसे के बाद के गोल्डन ऑवर में घायल व्यक्ति को शीघ्र अति शीघ्र चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाने में मददगार बनना चाहिए ताकि अधिक से अधिक जानों को अकाल मृत्यु से बचाया जा सके।

हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद यहां सड़क दुर्घटना के समय स्थानीय लोग तत्परता से आगे आते हैं। प्रदेश का नागरिक सजग, संवेदनशील तथा मानवीय भावनाओं की कद्र करने वाला है।

आओ ! प्रण लें – जब आज आप मदद का हाथ बढ़ाएंगे तो आने वाली पीढ़ी भी आपके संस्कार व आदर्श को अवश्य ही अपनाएंगी।

सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश
आपकी सुरक्षा में सदैव तत्पर है।

सड़क हादसे के गोल्डर ऑवर (Golden Hour) में मिलेगा ''कैशलैस इलाज़'', केंद्र सरकार की प्रस्तावित योजना

Road Accident Golden Hour: अब गोल्डन ऑवर में 'कैशलैस इलाज़' की व्यवस्था करने पर केंद्र सरकार विचार कर रही है, इसके लिए सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में व्यवस्था करने के तहत नया बदलाव लाने का कार्य आरम्भ कर दिया है।

दुनिया भर में सड़क हादसों में सबसे ज़्यादा मौतें भारत में होती हैं। वर्ष 2020 में डेढ़ लाख लोगों ने सड़क हादसों में अपनी जान गंवाई है। इसी के मद्देनज़र सड़क हादसे में होने वाली मौतों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार नए नियम पर कार्य कर रही है। केंद्र सरकार मोटर वाहन अधिनियम के तहत नया नियम ला रही है, जिसके जरिए सड़क हादसे के दौरान किसी भी पीड़ित का इलाज़ समय से हो जाए। इस नए अधिनियम के अंतर्गत ''गोल्डन ऑवर ट्रिटमेंट फैसिलिटी'' जल्द लागू की जाएगी।

गोल्डन ऑवर में मिलेगा कैशलैस इलाज़

नए नियमों के अंतर्गत सड़क हादसों में पीड़ित लोगों को गोल्डन ऑवर ट्रिटमेंट कैशलैस इलाज उपलब्ध करवाया जाएगा और इसका भुगतान इंश्योरेंस कंपनियां और केंद्र सरकार करेगी। अगर इंश्योरेंस कवरेज वाली गाड़ी से दुर्घटना होती है तो पीड़ित के कैशलैस

इलाज का भुगतान इंश्योरेंस के कोष से किया जाएगा और अगर दुर्घटना वाली गाड़ी बिना इंश्योरेंस कवरेज के है तो केंद्र सरकार के कोष से भुगतान होगा।

इसके अतिरिक्त 'हिट एंड रन' के मामले में मुआवज़ा निधि (Solatium Fund) के जरिए भुगतान किया जाएगा। हाल में इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों को अस्पतालों के साथ कैशलैस ट्रिटमैंट की छूट दी है इसके बाद छोटे शहरों में भी गोल्डन ऑवर कैशलैस ट्रिटमेंट फैसिलिटी, सड़क दुर्घटना के मरीजों को मिल पाएगी।

नेशनल हेल्थ अथॉरिटी नोडल एजेंसी नियुक्त

इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से नेशनल हेल्थ अथॉरिटी नोडल एजेंसी को नियुक्त कर दिया है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी चिकित्सा संस्थानों के साथ समझौता कर इलाज की दरें तय करेंगी। इंश्योर्ड व्हिकल और अनइंश्योर्ड व्हिकल के दो अलग–अलग फंड होंगे और ट्रिटमेंट क्लेम भुगतान जनरल इंश्योरेंस काउंसिल (GIC) के जरिए होगा। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की सिफारिश के आधार पर GIC भुगतान करेगा। इंश्योर्ड गाड़ियों के अकाउंट के लिए जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की मदद से फंड तैयार किया जाएगा। वहीं अनइंश्योर्ड गाड़ियां और हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट का अकाउंट केंद्र सरकार की मदद से बनेगा। IRDAI ने भी इंश्योरेंस कंपनियों को कैशलैस ट्रिटमेंट के लिए अस्पतालों को छूट दी है। इतना ही नहीं, छोटे शहरों के अस्पताल भी कैशलैस गोल्डन ऑवर ट्रिटमेंट दे पाएंगे।

क्या होता है गोल्डन ऑवर ट्रिटमेंट ?

1. दुर्घटना के बाद का पहला एक घंटा।
2. गोल्डन आवर में इलाज़ उपलब्ध हो जाए तो बच सकती है जान।
3. घायलों को 'गोल्डन ऑवर' में सही इलाज़ न मिलना मौत का मुख्य कारण बनता है।
4. हर दिन करीब 400 व्यक्ति सड़क हादसों में अपनी जान गवां देते हैं।
5. दुर्घटना में होने वाली मौतों की एक बड़ी वज़ह शुरूआती तौर पर सही इलाज़ का न मिलना।

कृप्या ओवरलोडिंग न करें !
''अपनी एवं औरों की सुरक्षा
सुनिश्चित करें''

"तभी लगेगा दुर्घटनाओं पर ताला,
जब पहनोगे सुरक्षा की माला"

आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली : ERSS

आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ERSS) के तहत सभी आपातकालीन सहायता नम्बरों जैसे पुलिस सहायता के लिए 100, अग्निकांड की घटनाओं के लिए 101 तथा एम्बुलैंस व आपदा प्रतिक्रिया के लिए 102 आदि को एक ही आपातकालीन नम्बर 112 में एकीकृत किया गया है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एक ही फोन नम्बर 112 पर कॉल करके सहायता प्राप्त की जा सकती है।

सड़क दुर्घटना के समय आपातकालीन एम्बुलैंस नम्बर 108 के अतिरिक्त 112 नम्बर पर कॉल करके भी सड़क दुर्घटना पीड़ित को तुरंत सहायता उपलब्ध करवाई जा सकती है।

हिमाचल प्रदेश ERSS लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है।

Be kind,
help road accident victims
Be a Good Samaritan!

मानवता का परिचय दें
Good Samaritan - नेक व्यक्ति बनें।